

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम झारखण्ड विधान सभा

संख्या-07

अष्टम (बजट) सत्र

मंगलवार, दिनांक-08 मार्च, 2022 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 05.08 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कठिपय माननीय सदस्य अपने-अपने हाथों में स्लोगनयुक्त पोस्टर के साथ राज्य में अवैध बालू पत्थर एवं कोयला खनन पर रोक लगाये जाने हेतु मँग करने लगे।)

1.आसन से संदेश का पढ़ा जाना:-

आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर सभी महिला माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय एवं राज्य में कार्यरत महिलाकर्मियों के साथ-साथ विश्व की सम्पूर्ण महिलाओं के सम्मान में आसन से शुभकामना संदेश पढ़ा गया।

2.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-17

- | | | |
|----------------------|-----------------------------------|----------|
| (क) उत्तरित कुल-02, | अ० सू०-67, श्री बंधु तिर्की, | स०वि०स०, |
| | अ० सू०-68, श्री सुदेश कुमार महतो, | स०वि०स०, |
| (ख) स्थगित मात्र-01, | अ० सू०-69, श्री अनन्त कुमार ओझा, | स०वि०स०। |
| (ग) अनागत कुल-14, | अ० सू०-70 से लेकर अ०सू०-83 तक। | |

(इस अवसर पर माननीय सदस्या, सुश्री आब्दु प्रसाद ने चतरा जिलान्वर्गि टण्डवा में एन.टी.पी.सी. के विरुद्ध रैयतों द्वारा नौकरी एवं मुआवजा की याँगों को लेकर किये जा रहे धरना-प्रदर्शन की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस विषय पर सदन की समिति बनाये जाने की माँग की।)

(ii) तारंकित प्रश्नों की कुल संख्या-68

- | | | |
|---------------------|--|----------|
| (क) उत्तरित कुल-08, | तारं०-254, श्री सरयू राय, | स०वि०स०, |
| | तारं०-255, श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, | स०वि०स०, |
| | तारं०-256, श्री राजेश कच्छप, | स०वि०स०, |
| | तारं०-258, श्री कमलेश कुमार सिंह, | स०वि०स०, |
| | तारं०-259, श्री निरल पुरती, | स०वि०स०, |
| | तारं०-260, श्री आलोक कुमार चौरसिया, | स०वि०स०, |
| | तारं०-261, श्री भूषण बाड़ा, | स०वि०स०, |
| | तारं०-262, श्री रामचन्द्र सिंह, | स०वि०स०। |

- (ख) स्थगित मात्र-01, तारां०-263, श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, स०विंस०।
 (ग) अपृष्ठ मात्र-01, तारां०-257, श्री मंगल कालिंदी, स०विंस०।
 (घ) अनागत कुल-58, तारां०-264 से लेकर तारां०-321 तक।

इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने आसन से अनुरोध किया कि महिला दिवस के अवसर पर दलीय नेताओं से भी शुभकामना संदेश दिलवाया जाय।

3. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें:-

माननीय सदस्य, डॉ नीरा यादव द्वारा ढिबरा उद्योगों से सम्बन्धित पट्टा दिये जाने, डॉ लम्बोदर महतो द्वारा सी.एन.टी.-एस.पी.टी. एक्ट में छेड़छाड़ किये जाने, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर रोक लगाये जाने, माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण द्वारा विस्थापित को नैकरी एवं मुआवजा दिये जाने, श्री जय प्रकाश भाई पटेल द्वारा स्थानीय नीति लागू किये जाने तथा माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही द्वारा त्रुटिपूर्ण नियोजन नीति में संशोधन किये जाने सम्बन्धी दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को आसन द्वारा पढ़ा गया तथा नियमानुकूल नहीं होने के कारण इन्हें अमान्य कर दिया गया।

4. शून्यकाल की सूचनायें:-

नियमानुसार आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की सूचनाये पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी-

- श्रीमती सीता सोरेन,
 श्री उमाशंकर अकेला,
 श्री रामचन्द्र सिंह,
 डॉ कुशवाहा शशिभूषण महेता,
 श्री केदार हजरा,
 श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता,
 श्री नारायण दास,
 श्री दुलू महतो,
 सुश्री अम्बा प्रसाद,
 डॉ लम्बोदर महतो,
 श्री अनन्त कुमार ओझा,
 श्री जिगा सुसान होरे,
 श्री कोचे मुण्डा, नालीमोहन वि कालज-पांडा नं ६५-११०८-५३ श्रीमती
 श्री विनोद कुमार सिंह, विवि वि लाल विवि कि गाँवाँ लालाँ श्रीमती
 श्री बिरंची नारायण, लालो लालर लालर नह लिटिक लाल लाल लालर लालर वि
 श्री भूषण तिर्की,
 श्री राज सिन्हा,
 श्री दशरथ गागराई,
 श्री निरल पुरती,
 श्री मथुरा प्रसाद महतो,
 श्री आलोक कुमार चौरसिया,

श्री राजेश कच्छप, १०-४८५ लग्निया (३)
 श्री अमित कुमार यादव, १०-४८५ लग्निया (३)
 श्री अमर कुमार बाउरी, १०-४८५ लग्निया (३)
 डॉ इरफान अंसारी, १०-४८५ लग्निया (३)

(इस अवसर पर माननीय सदस्या, सुश्री अम्बा प्रसाद चतरा जिला के टण्डवा में रैयतों पर हो रहे लाठीचार्ज की जाँच सम्बन्धी माँग को लेकर सदन की बेल में आ गयी जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री बंधु तिर्की ने भी किया जिसपर माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस सम्बन्ध में 24 घंटे के अन्दर कार्रवाई की जायेगी।)

5. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएँ:-

माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

6. नियम समिति की सिफारिशें:-

आसन से पुकारे जाने पर माननीय सदस्य, श्री दीपक बिरुवा ने झारखण्ड विधान सभा के नियम समिति की दिनांक-18 जनवरी, 2022 को माननीय अध्यक्ष महोदय के आवासीय कार्यालय में सम्पन्न वर्चुअल बैठक में की गयी सिफारिशों-

1. झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम में त्रुटिपूर्ण शब्दों का शुद्धिकरण किया जाय,
2. झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-304(2) की तीसरी पंक्ति में शून्यकाल की 15 सूचनाओं के स्थान पर 25 सूचनायें प्रतिस्थापित किया जाय,
3. झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-52 को विलोपित किया जाय,
4. झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-34(3) की तीसरी पंक्ति में अंकित शब्द “अधिक से अधिक” को विलोपित किया जाय, को सभा नियम-250(3) के तहत सभा पटल पर रखा तदुपरांत आसन द्वारा माननीय सदस्यों को संसूचित किया गया कि सभा नियम-250(3) के तहत वे अपने संशोधन की सूचना दिनांक-14.03.2022 तक सभा सचिव को दे सकेंगे।

7. वित्तीय कार्य:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा वित्तीय वर्ष-2022-23 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों खण्ड-(02) ग्रामीण विकास विभाग की माँगों सभा में प्रस्तुत की गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

8. प्रतिवेदन का रखा जाना:-

पुकारे जाने पर माननीय सदस्य, प्रो० स्टीफन मराणडी ने झारखण्ड विधान सभा की नियम समिति की अनुशंसा के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका

4.

W.P (C)-3687/2020 एवं W.P (C)-3654/2020 के प्रसंग में संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत झारखण्ड विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियम-2006 प्रासंगिक नियम-6(1) एवं इससे सम्बन्धित कुछ पैरा पर विचार करने हेतु गठित त्रि-सदस्यीय समिति के प्रतिवेदन में समिति ने निम्न सिफारिश की है:-

झारखण्ड विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियम-2006 प्रासंगिक नियम-6(1) में वर्णित पारा “कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरहता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के सम्बन्ध में इस नियम के उपबंधों के अनुसार दी गयी अर्जी द्वारा किया जायेगा अथवा अध्यक्ष द्वारा स्वतः संज्ञान (**Suo moto**) के आधार पर किया जा सकेगा” को निम्नांकित रूप में प्रतिस्थापित किया जाये:-

6(1) “कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरहता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के सम्बन्ध में इस नियम के उपबंधों के अनुसार कोई व्यक्ति द्वारा दी गयी अर्जी द्वारा किया जायेगा,” त्रि-सदस्यीय समिति का प्रतिवेदन सभा पट्टल पर रखा तदुपरांत आसन द्वारा माननीय सदस्यों को संसूचित किया गया कि वे अपने संशोधन की सूचना दिनांक-14.03.2022 तक सभा सचिव को दे सकेंगे।

9. वित्तीय कार्य (क्रमांक-7 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत माँग पर आसन के निर्देश से माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा ने चर्चा प्रारंभ की। इसके बाद निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया-

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्रीमती सीता सोरेन ने आसन ग्रहण किया।)

श्री वैद्यनाथ राम,

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

श्री नवीन कुमार जयसवाल,

श्री उमाशंकर अकेला,

श्री बंधु तिकी,

श्री विनोद कुमार सिंह,

डॉ० लम्बोदर महतो,

श्री दशरथ गागराई,

श्री आलोक कुमार चौरसिया,

डॉ० इरफान अंसारी।

इसके बाद सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम ने वित्तीय वर्ष-2022-23 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों खण्ड-(02),

ग्रामीण विकास विभाग की माँगें सभा में प्रस्तुत की गयी जो सभा द्वारा स्वीकृत हुई तथा माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा प्रस्तुत कर्तृती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के मानवीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया)
तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक-09.03.2022 के 11.00 बजे पूर्वा
तक के लिए स्थगित की गयी।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।